कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / मा / ई–2 / अ.सं.छा. / 2009–10 दिनांकः 22.7.2009

विज्ञप्ति

विषयः– अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति– नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2009–10 के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण : **अंतिम तिथि 15.8.2009**

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित व गैर–अनुदानित विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों में सत्र 2009–10 में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृति हेतु छात्र / छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्थाप्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करने की **अंतिम तिथि 15.8.2009 है।**

इस छात्रवृति योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र / छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए छत्रवृति प्रदान करना है। वर्ष 2009–10 में इस छात्रवृति योजना में निम्नानुसार संख्या में छात्रवृत्तियॉ उपलब्ध हैं :–

मुस्लिम	**ईसाई**	**सिख**	**बौद्ध**	**पारसी**	**कुल छात्रवृत्तियों**
55550	880	9570	110	0	66110

छात्रवृत्ति की शर्तेः–

1. छात्र / छात्रा के द्वारा पिछली अंतिम परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की गई हो, परन्तु कक्षा 1 एवं 2 उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के लिए उनके अभिभावक / संरक्षक की मात्र आय को ही आधार माना जायेगा।
2. छात्र / छात्रा के अभिभावक अथवा संरक्षक की सभी स्त्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन में छात्र / छात्रा के द्वारा अर्जित अंकों के बजाय गरीबी को अधिभार (Weightage) दिया जायेगा।
3. छात्र / छात्रा द्वारा उसी कक्षा और सत्र के लिए अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
4. एक परिवार में दो से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृति देय नहीं है। अतः एक परिवार से अधिकतम दो विद्यार्थियों का ही आवेदन करावाया जा सकता है।
5. कुल विद्यार्थियों का 30 प्रतिशत भाग छात्राओं के लिए आरक्षित (Earmarked) है। यदि इस आरक्षित संख्या में छात्राऐं उपलब्ध नहीं हुई तो शेष छात्रवृतियॉ पात्र छात्रों को नियमानुसार स्वीकृत कर दी जायेंगी।

छात्रवृति की दरें

क्र.सं.	**मद**	**छात्रावासी विद्यार्थी**	**गैर छात्रावासी विद्यार्थी**
1	कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश शुल्क	500 रूपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रूपये वार्षिक या वास्तविक(जो भी कम हो)
2.	शिक्षण शुल्क कक्षा 6	350 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक	350 रूपये प्रति माह या

	से 10	(जो भी कम हो) 10 माह के लिए	वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए
रख–रखाव भत्ता (अधिकतम 10 माह)			
1.	कक्षा 1 से 5 तक	शून्य	100 रूपये प्रति माह
2.	कक्षा 6 से 10 तक	600 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक व्यय (जो भी कम हो)	100 रूपये प्रतिमाह

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र/छात्राओं को निर्धारित नवीन आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर मय शपथ पत्र के अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा कराना है । आधे अधूरे एवं औपचारिक्ताओं की पालना नहीं किये हुए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा । संस्थाप्रधान द्वारा एक रजिस्ट्रर संधारित कर उसमें कक्षावार प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा–जोखा रखा जायेगा। किसी पात्र छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र नहीं भिजवाने, नियमों व शर्तो के विरूद्ध कोई आवेदन–पत्र अग्रेषित करने पर दोषी विद्यालय/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के विरूद्ध संबंधित नियामों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

इस छात्रवृति योजना के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) हैं। छात्रवृति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र नोडल अधिकारी के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र की फोटो प्रतियॅा करवाकर भी काम में ली जा सकती है। आवेदन पत्र व यह विज्ञप्ति विभागीय बेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है । साथ ही विभाग की पत्रिका ''शिविरा'' के माह अगस्त 2009 के अंक में भी यह विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र प्रकाशित किया जा रहा है । शिविरा पत्रिका में मुद्रित छात्रवृति आवेदन पत्र की छाया प्रति करवाकर भी काम में लाया जा सकता है।

कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं, भले ही वे मदरसा बोर्ड/संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित पंजीकृत मदरसों/विद्यालयों (राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित व गैर–अनुदानित) में अध्ययरत हों, के आवेदन पत्र भरवाने, प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच करने पर पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करने, वरीयता सूची बनाने, निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक सूचनाओं की साफ्ट एवं हार्ड कापी तैयार करवाकर जिला स्तर नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) के कार्यालय में समय पर उपलब्ध करवाने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारभिक) का होगा। अतः किसी भी सेट–अप/विभाग/बोर्ड अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र संस्थाप्रधानों द्वारा अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंम्भिक) को जमा करवाये जायेंगे ।

कक्षा 9 व 10 के सभी छात्र/छात्राओं को अपने छात्रवृति आवेदन पत्र अध्ययरत विद्यालय के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र के कॉलम नं0 8 में छात्र/छात्रा की जन्म तिथि अंकित की जायेगी जिसे संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर (छात्र प्रवेशांक रजिस्टर) से मिलान कर प्रमाणीकरण कॉलम 22 (iv) के अनुसार किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ गत उत्तीर्ण परीक्षा की प्रमाणित अंकतालिका संलग्न की जानी आवश्यक है । संस्थाप्रधान द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्रों को अपने से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय में जमा करवाये जाने हैं।

छात्र/छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय, छात्र/छात्रा द्वारा कोई अन्य छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहे होने एवं परिवार में अधिकतम दो विद्यार्थियों का ही छात्रवृति हेतु आवेदन करने का नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र 10.00 रूपये (दस रूपये मात्र) के नॉन ज्युडिशियल स्टॅाम्प पेपर पर प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

गत वर्ष 2008–09 में जिन छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृति स्वीकृत हुई थी, उन्हे भी नियमानुसार छात्रवृति के नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवेदन पत्र भरना है। नूतन एवं नवीनीकरण दोनों के लिए एक ही नवीन आवेदन पत्र निर्धारित किया गया है। नवीनीकरण के लिए

छात्र/छात्रा के द्वारा पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गत सत्र में जिन छात्र/छात्राओं का इस छात्रवृति के लिए चयन हुआ है, वे अपने चयन की जानकारी बेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त कर लें ताकि नवीनीकरण का आवेदन–पत्र भरने में सुविधा रहे।

गत वर्ष के आवेदन–पत्र में कतिपय संशोधन किए गए हैं। अतः इस वर्ष जारी आवेदन–पत्र ही स्वीकार्य होगा।

(भास्कर ए. सावंत)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा/ई–2/अ.स.छा/2009–10 दिनांकः 22.7.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
7. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक)
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)
9. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
10. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा
11. रक्षित पंजिका

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर